ए-12018/01/2015-ईपीआई
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख : अगस्त, 2017

केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने निम्नलिखित भर्ती नियमों का प्रारूप बनाया है और इन्हे सभी संभावित प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप भर्ती नियमों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर इनके प्रकाशन की तारीख से 30 दिन पूरे होने पर अथवा उसके बाद विचार किया जाएगा।

2. यदि उक्त प्रारूप भर्ती नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से उपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आपत्तियाँ और सुझाव प्राप्त होने पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. यदि कोई आपत्तियाँ और सुझाव देना चाहे तो उन्हे श्री अमरजीत सिंह, उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, कमरा संख्या 647, ए-विंग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली- 110108 के पते पर भेजा जाए और सॉफ्ट कॉपी ईमेल singh.amarjit@nic.in पर भेजी जाए।

(अमरजीत सिंह)
उपनिदेशक

(भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख : 2016

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, सहायक निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 1985 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (क) इन नियमों का नाम केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में सहायक निदेशक (राजभाषा) समूह 'क' अननुसचिवीय भर्ती नियम, 2016 है ।
(ख) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में लेवल** - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं**- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय -समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक (राजभाषा)	1* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएंप्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु एक वर्ष ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	**प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा ।**
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	पदोन्नति वेतन मैट्रिक्स में लेवल 6 में ऐसे कनिष्ठ अनुवादक जिन्होंने उस ग्रेड में 8 वर्ष नियमित सेवा की हो तथा 2-4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण-1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियो के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले अथवा उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति** केंद्रशासित प्रदेशों / केन्द्रीय /राज्य सरकार के अधिकारी (क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन वेतनमान -2, रूपये 9300-34800/- ग्रेड वेतन रूपये 4600/- अथवा समकक्ष पदों पर नियमित नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में 3 वर्ष सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों:

अनिवार्य

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिन्दी में मास्टर डिग्री

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ, हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजीके साथ, हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में हिंदी माध्यम से मास्टर डिग्री

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी या इनमें से कोई परीक्षा के माध्यम के रूप में तथा दूसरा अनिवार्य या वैल्कल्पिक विषय के साथ, हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री

(ii) हिंदी में शब्दावली (शब्दावली कार्य) प्रयुक्त करने अथवा अनुप्रयोग करने का और अंग्रेजी से हिंदी में अथवा हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य का 3 वर्ष का अनुभव जिसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त शोध अथवा शैक्षिक संस्थानों में तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य संबंधी कार्य को अधिमानता दी जाएगी।

या....

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त शोध संस्थानों में हिंदी और अंग्रेजी शिक्षण का अथवा हिंदी या अंग्रेजी में शोध कार्य का तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी ;1 : अर्हताएं सुयोग्य शिक्षित अभ्यर्थियों की दशा में यूपीएससी के विवेकानुसार शिथिल की जा

	सकती हैं टिप्पणी 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में यूपीएससी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर यूपीएससी की यह राय है उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है। **वांछनीय** मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वी के स्तर पर सविधान की 8वी अनुसूची शामिल हिंदी के अतिरिक्त किसी एक भाषा का अध्ययन किया हो। टिप्पण1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।**
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. सहायक महानिदेशक/उप महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से प्रत्येक नियुक्ति के समय परामर्श करना आवश्यक है।

3. निदेशक (प्रशासन व सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य **समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति)** : 1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष 2. सहायक महानिदेशक/उप महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 3. निदेशक (प्रशासन व सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य	

(ए.12018/01/2015-ईपीआई)

(बीएल मीणा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में
प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय